

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

:: कार्यालय आदेश ::

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के मेकैनिक मोटर व्हीकल (डिग्री/डिप्लोमा) (विज्ञापन सं०-40/2023) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पदों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त हैं) को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के व्यवसाय अनुदेशक के वेतनमान वेतन स्तर-6 (₹ 35,400-83,000) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-7 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

S. No.	Application No.	Name	BTSC Samekit S. No.	Selection Category	Home District	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1	DD007076	BRAJESH KUMAR SINGH	2	UR	BALLIA(UTTAR PRADESH)	ITI MUNGER
2	DD020101	SHRIKANT KUMAR	3	UR	SAMASTIPUR	ITI NAWADA
3	DD010030	ABHIMAT KUMAR	4	UR	BEGUSARAI	ITI MUZAFFARPUR
4	DD015147	SHASHI KUMAR	5	SC	VAISHALI	ITI MARHORAH
5	DD009768	RUCHIR PRATYUSH	7	BC(BC-II)	SIWAN	ITI BEGUSARAI
6	DD005709	NANHE SAH	8	EBC(BC-I)	MUZAFFARPUR	ITI MOTIHARI
7	DD014692	VIMAL KUMAR	10	EBC(BC-I)	KHAGARIA	ITI HATHUA
8	DD004808	BIPUL KUMAR	12	EWS	GAYA	ITI DEHRI ON SON ROHTAS

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों, शपथ-पत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा, अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें आदि के आधार पर किया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र सहित इन प्रमाण पत्रों की जांच पदस्थापित कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा करायी जायेगी। यदि कोई प्रमाण पत्र या संबंधित कागजात किसी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गई राशि की वसूली के साथ -साथ विधि सम्मत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण एवं संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के आलोक में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

4. सभी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करते समय वांछित दस्तावेज, जो भी लागू हो के अतिरिक्त निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र एवं सिविल सर्जन द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक-01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे योगदान करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।
6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर स्तम्भ-7 में अंकित स्थान में योगदान लेंगे। योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। योगदान करने की सूचना नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
7. प्रस्ताव में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुयश वरदान)

उप निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या-टी0-1/स्था0(6)अनु0-09/2025 1068 /

पटना-15, दिनांक-22/04/2025

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या-टी0-1/स्था0(6)अनु0-09/2025 1068 /

पटना, दिनांक-22/04/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या-टी0-1/स्था0(6)अनु0-09/2025 1068 /

पटना, दिनांक-22/04/2025

प्रतिलिपि-सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।